572
16/3/18

कार्यालय क्षेत्रीय वनमण्डल उमरिया (म.प्र.)

Phone - 07653-222217, - 9424794505, E-mail –dfo.umaria@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 1163 / उमरिया, दिनांक / 9/3/18

प्रति,

कार्यपालन अभियन्ता
(डी.आर.पी.)
म0प्र0पूर्व क्षेत्र वि0वि0क0लि0
शहडोल (म0प्र0)

विषयः— दीन दयाल उपाध्याय ग्राम योजना के अन्तर्गत जिला उमरिया (म0प्र0) के अविद्युतीकरण ग्राम सांस से चिनकी विद्युत लाइन में प्रस्तावित वनभूमि 1.098 हे0 का व्यपवर्तन बावत्।

संदर्भः— मुख्य वनसंरक्षक वन वृत्त शहडोल का पत्र क्र0 / मा0चि0 / 2018 / 1287 दिनांक 19.02.2018

विषयांकित प्रस्ताव कार्यालयीन पत्र क्र0 / मा0चि0 / 268 दिनांक 06.02.2018 द्वारा आवश्यक सहमति हेतु मुख्य वनसंरक्षक वन वृत्त शहडोल की ओर प्रेषित किया गया था। उक्त संदर्भित पत्र एवं मूलतः प्रस्ताव संलग्न है, का अवलोकन करें, प्रस्ताव में पाई गई कमियों / त्रुटियों की पूर्ति कर 5 प्रतियों में शीघ्र प्रेषित करें।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल उमरिया (म.प्र.)

पृ0क्रमांक / मा.चि. / / उमरिया, दिनांक /

प्रतिलिपिः—

1. उप वनमण्डलाधिकारी (क्षे0) पाली की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. वन परिक्षेत्राधिकारी (क्षे0) घुनघुटी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख किया जाता है कि बिन्दु क्रमांक 01 से 04 तक की चाही गई जानकारी शीघ्र प्रेषित करें।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल उमरिया (म.प्र.)

कार्यालय कार्यपालन अभियंता (डी.आर.सी.) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.जिला शहडोल

क्र./कार्य/पा/अ/डी.आर.सी./शहडोल/ 811-812 शहडोल, दिनांक 16/03/18

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
वनमण्डल सा. उमरिया (म.प्र.)।

विषय :– दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अन्तर्गत जिला उमरिया (म.प्र.) के अविद्युतीकृत ग्राम चिनकी के विद्युतीकरण हेतु ग्राम सांस से चिनकी तक प्रस्तावित 11 के.व्ही. लाईन में पड़ने वाली वन भूमि की वनानुमाति बावत्।

संदर्भ :– (1) आनलाईन प्रोपोजल क्र.FP/MP/VELEC/29567/2017 दि. 30.11.17
(2) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र शासन भोपाल का पत्र कं.एफ–4/201710–11–3660 भोपाल दिनांक 4.12.17
(3) मुख्य वनसंरक्षक वन वृत शहडोल का पत्र कं.मा.चि.10198 दिनांक. 30.12.17
(4) आपका पत्र कं. मा. चि/2018/149–50 दिनांक 19.01.18
(5) मुख्य वन संरक्षक वन वृत शहडोल का पत्र क.मा.चि./2018/716–717 दिनांक 24.01.2018
(6) इस कार्यालय का पत्र क्र./डी.आर.सी./शहडोल/721–722 शहडोल, दिनांक 05/02/18
(7) आपका पत्र कं. 1163 दिनांक 09.03.18 प्राप्ति दिनांक 16/03/18

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। तत्पश्चात आपका पत्र क्र. 1163 दि. 09.03.18 जो कि इस कार्यालय में दि. 16.03.18 को प्राप्त हुआ है। जिसके परिपेक्ष्य में लेख है कि आनलाईन प्रोपोजल क्र. FP/MP/VELEC/29567/2017 दि. 30.11.17 प्रस्तुत किये जाने के उपरांत अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षण (भू प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. एफ–4/2017/10–11/3660 दि. 04.12.17 द्वारा प्रोपोजल में परीक्षण उपरांत पाई गई कमियों की पूर्ति हेतु निर्देशित किया गया था जिसकी पूर्ति निराकरण दि. 07.12.17 को कर दिये जाने के उपरांत मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल द्वारा अपने पत्र क्र. 716–717 दि. 24.01.2018 को सैद्वांतिक अनुमाति जारी करने हेतु आपको निर्देश दिये गये थे। तत्पश्चात् आपने अपने पत्र के साथ मुख्य वनसंरक्षक वन वृत्त शहडोल का पत्र क्रमांक 1287 दि. 19.02.18 में दर्शित नवीन कमियों/त्रुटियों के निराकरण हेतु लेख किया है जिनका बिन्दुबार निराकरण निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

1. प्रस्तावित वनभूमि का फारेस्ट मैप स्केल 1:15000 एवं 1:50,000 स्केल का मानचित्र में अंकित कर पुनः संलग्न है।
2. आवेदक संस्था द्वारा आवश्यक वचन पत्र एवं प्रमाण पत्र पुनः संलग्न है।
3. बिन्दु क्रमांक 3 आवेदक संस्था द्वारा नहीं दिया जाना है अपितु वन विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निराकृत योग्य है। यद्यपि वृक्षों के न काटे जाने संबंधी वचन पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
4. प्रस्तावित विद्युत लाईन के निर्माण में प्रभावित वृक्षों का विदोहन नही किये जाने के संबध में प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ पुनः संलग्न है।

उपरोक्तानुसार 5 प्रतियो में प्रस्ताव पुनः आपकी ओर त्वरित अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

कार्यपालन अभियंता (डी.आर.सी.)
म0प्र0पू0क्षे0वि0वि0कं0लि0 शहडोल

क्र./कार्य/पा/अ/डी.आर.सी./शहडोल/ शहडोल, दिनांक

प्रतिलिपि,

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंधक) म.प्र. शासन भोपाल।
2. मुख्य महा प्रबंधक (दी.द.उ.ग्रा.ज्यो.यो.) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. जबलपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक वृत शहडोल।
4. अधीक्षण अभियंता (सं./सं.) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. शहडोल।

आप सभी को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक त्वरित कार्यवाही हेतु।

कार्यपालन अभियंता (डी.आर.सी.)
म0प्र0पू0क्षे0वि0वि0कं0लि0 शहडोल

९८

कार्यालय वन वृत्त शहडोल-484001 (मध्यप्रदेश)
PHONE - 245361 FAX - 240189 E_MAIL- ccf.sdl@mp.gov.in

क्रमांक/माचि /2018/2025 शहडोल, दिनांक 17/3/18

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,
वनमंडल उमरिया.

विषय – दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अंतर्गत जिला उमरिया (म0प्र0) के अविद्युतीकरण ग्राम सांस से चिनकी के विद्युतीकरण हेतु 11 के0व्ही0 विद्युत लाईन में प्रस्तावित वनभूमि कुल रकबा 1.098 हे0 का व्यपवर्तन बावत।

संदर्भ – इस कार्यालय का पत्र क्र/माचि/716 दिनांक 24.01.2018.

–☆☆☆–

प्रकरण में आपको कार्यालय के संदर्भ पत्र दिनांक 24.01.2018 से सशर्त सैद्धांतिक अनुमति हेतु सहमति जारी की गई है। उपरोक्त प्रकरण में आवेदक संस्था द्वारा कोई वृक्ष कटाई नहीं की जावेगी तथा इनसूलेटेड तारों का प्रयोग किया जावेगा।

उपरोक्त प्रकरण में आवश्यक कमियों की पूर्ति कराते हुये तत्काल इस कार्यालय के संदर्भ पत्र के निर्देशानुसार स्वीकृति जारी की जावे।

(ए0के0 जोशी)
मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त शहडोल (म0प्र0)

पृ0क्रमांक/माचि /2018/2026 शहडोल, दिनांक 17/3/18

<u>प्रतिलिपिः–</u>

कार्यपालन यंत्री, डीआरसी, पूर्वी क्षेत्र, MPEB शहडोल को सूचनार्थ। कृपया नोडल अधिकारी को प्रमाण में पूर्ति हेतु निर्देश देने का कष्ट करें।

मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त शहडोल (म0प्र0)

मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
कार्यालय कार्यपालन अभियंता (डी.आर.सी.) जिला शहडोल - 484001
फोन - 07652-240877, फैक्स - 07652-245871, ई-मेल– eedrcshahdol@gmail.com

क्र./कार्य/पा/अ/डी.आर.सी./शहडोल/ 859-860 दिनांक 31/03/18

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
वृत्त शहडोल (म.प्र.)

विषयः– दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अन्तर्गत जिला उमरिया (म.प्र.) के अविद्युतीकृत ग्राम चिनकी के विद्युतीकरण हेतु ग्राम सांस से चिनकी तक प्रस्तावित 11 के.व्ही. लाईन में पड़ने वाली वन भूमि की वनानुमाति बावत्।

सन्दर्भः–
1. आनलाईन प्रोपोजल क्र. FP/MP/VELEC/29567/2017 DT- 30.11.17
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. शासन भोपाल का पत्र क्र. एफ–4/2017–11–3660 भोपाल दिनांक 04.12.17।
3. मुख्य वनसंरक्षक वन वृत्त शहडोल का पत्र क्र. मा.चि. 10198 दिनांक 30.12.17।
4. आपका पत्र क्रमांक मा.चि/2018/149–50 दिनांक 19.01.18।
5. मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल का पत्र क्र. मा.चि./2018/716–717 दिनांक 24.01.18।
6. इस कार्यालय का पत्र क्र./डी.आर.सी./शहडोल/721–722 शहडोल, दिनांक 05/02/18।
7. आपका पत्र क्र. 1163 दिनांक 09.03.18 प्राप्ति दिनांक 16.03.18।
8. इस कार्यालय का पत्र क्र./डी.आर.सी./शहडोल/811–812 दिनांक. 16.03.18।
9. आपका पत्र क्र./माचि/2018/2025 दिनांक 17.03.18।

----x-----

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि वन मंडलाधिकारी वनमंडल उमरिया के पत्र क्र. 1163 दि. 09.03.18 जो कि इस कार्यालय में दिनांक. 16.03.18 को प्राप्त हुआ था। उसके परिपेक्ष्य में दर्शित कमियों/त्रुटियों का बिन्दुबार निराकरण करते हुये उनके निर्देशानुसार 5–5 प्रतियों में प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्र क्र. 811–12 दि. 16.03.18 के द्वारा एस.डी.ओ. (उप–मंडल) वन पाली श्री राहुल मिश्रा जी के माध्यम से प्रेषित कर दिया गया था जिसकी छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। तत्पश्चात आपके द्वारा पत्र क्र. माचि/2018/2025–26 दिनांक 17.03.18 के द्वारा वन मंडलाधिकारी वन मंडल उमरिया को अपने कार्यालय के पत्र क्र. 716 दिनांक 24.01.18 के अनुसार स्वीकृति जारी करने हेतु निर्देश जारी किये गये है। किन्तु आज तक वन मंडल अधिकारी उमरिया द्वारा अनुमति जारी नही की गई है। जिसके संबंध में वन मंडलाधिकारी उमरिया से मोबाईल पर अनुरोध किया गया किन्तु उनके द्वारा व्यक्त किया गया कि ऐसे कैसे अनुमति जारी करदें और सहयोग नही दिया गया।

अतएव अनुरोध है कि कृपया प्रकरण पर त्वरित उचित कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

कार्यपालन अभियंता (डी.आर.सी.)
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. शहडोल

क्र./कार्य/पा/अ/डी.आर.सी./शहडोल/.......... दिनांक ....

प्रतिलिपि,

1. अधीक्षण अभियंता (सं./सं.) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. शहडोल।

31.3.18

राजवीर 31-3-18

कार्यपालन अभियंता (डी.आर.सी.)
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. शहडोल

कार्यालय वन वृत्त शहडोल-484001 (मध्यप्रदेश)

PHONE-245361 FAX-240189 E_MAIL- ccf.sdl@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2018/ शहडोल, दिनांक 2018

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
वनमण्डल उमरिया

विषय – **दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अन्तर्गत जिला उमरिया (म.प्र.) के अविद्युतीकृत ग्राम चिनकी के विद्युतीकरण हेतु ग्राम सांस से चिनकी तक प्रस्तावित 11 के.व्ही. लाईन में पड़ने वाली वनभूमि की वनानुमति बावत्।**

संदर्भ –
1. **कार्यालयीन पत्र क्र./माचि./716 दि.24.01.2018 एवं पत्र क्र./मा.चि./2025 दिनांक 17.03.2018**
2. **आपका पृ.पत्र क्रमांक/मा.चि./1500 दिनांक 26.03.2018**

☆☆☆

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। उपरोक्त प्रकरण में आवश्यक कमियों की पूर्ति कराते हुये तत्काल इस कार्यालय के संदर्भित पत्र के निर्देशानुसार स्वीकृत जारी किये जाने हेतु लेख किया गया है किन्तु आज दिनांक तक स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

उक्त प्रकरण में निर्देशों के अनुरूप स्वीकृत जारी किया जाना सुनिश्चित करें।

(ए.के. जोशी)
मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त शहडोल (म०प्र०)

पृ.क्रमांक/मा.चि./2018/ 2626 शहडोल, दिनांक 9-4-2018

प्रतिलिपि–कार्यपालन अभियंता (डी.आर.सी.) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. शहडोल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि बिन्दु क्रमांक 02 में उल्लेखित प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक वचन पत्र वनमण्डलाधिकारी को प्रेषित किया जावे।

मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त शहडोल (म०प्र०)

696
15/05/18

कार्यालय वन वृत्त शहडोल–484001(म.प्र.)

फोन (कार्या.–245361) (निवास–245335) (फैक्स–240189) ई–मेल–ccf.sdl@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2018 / शहडोल, दिनांक ..... / .... / 2018

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल उमरिया

विषय :– दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत जिला–उमरिया म.प्र. के अविद्युतीकरण ग्राम सांस से चिनकी के विद्युतीकरण हेतु 11 के.व्ही. विद्युत लाइन में प्रस्तावित वनभूमि 1.098 हे0 का व्यपवर्तन बावत्।

संदर्भ :–(1) कार्यालयीन ज्ञापन क्र./माचि./2025 दिनांक 17.03.2018 एवं 2625 दिनांक 09.04.2018.

(2) आपका पत्र क्र./888 दिनांक 07.05.2018.

––00––

विषयांकित प्रकरण के संबंध में संदर्भित कार्यालयीन पत्र का अवलोकन करें। उक्त प्रकरण में कमियों की पूर्ति कर स्वीकृति जारी करने हेतु लेख किया गया है।

अतः प्रकरण में निर्देशों के अनुरूप स्वीकृत जारी किया जाना सुनिश्चित करें।

(ए.के. जोशी)
मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त शहडोल (म.प्र.)

पृ.क्रमांक / मा.चि. / 2018 / 3394 शहडोल, दिनांक 14 / 5 / 2018

प्रतिलिपि :– कार्यपालन अभियंता (डी.आर.सी) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. शहडोल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त शहडोल (म.प्र.)